



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

Website: www.upptcl.org | E-mail: corporateaccounts@upptcl.org

CIN. NO. U40101UP2004SGC028687 | GSTIN: 09AAACU8823E1Z9

शक्ति भवन विस्तार 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 | Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001

पत्रांक - 1293/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/मु०/लेखा/F-154

दिनांक: 23.12.2020

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विधेयक 2020 द्वारा समावेशित नवीन धारा 206C (1H) के प्रावधान के प्रभावी तिथि दिनांक 01.10.2020 सपठित पत्र संख्या 444/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020; दिनांक 01.10.2020 के अनुपालन में वित्तीय प्रभावों के लेखांकन हेतु सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निम्नलिखित नवीन लेखाशीर्ष आंवटित किये जाते हैं-

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	लेखाशीर्ष विवरण
1.	27.426	Tax Collected at Source (TCS)
2.	27.427	TCS Debit Adjustment - Purchase Account
3.	27.428	TCS Credit Adjustment - Purchase Account
4.	46.937	TCS Debit Adjustment - Sales Account
5.	46.938	TCS Credit Adjustment - Sales Account

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखांकन प्रविष्टिया एवं अन्य आवश्यक निर्देश निम्नवत हैं :-

A. विक्रेता द्वारा TCS की वसूली किये जाने की स्थिति में

1. सामग्री क्रय करने पर (यदि बीजक मूल्य में TCS सम्मिलित है :

22.20 & 22.21	Material Purchase (Capital)	Dr.	(Cost)
	Or		
22.22 & 22.23	Material Purchase (O&M)	Dr.	(Cost)
27.427	TCS Debit Adjustment - Purchase Account	Dr.	(TCS)
42.101	Liab. for Supply of Material (Capital)	Cr.	(Cost)
	Or		
43.1	Liab. for Supply of Material (O&M)	Cr.	(Cost)
27.428	TCS Credit Adjustment - Purchase Account	Cr.	(TCS)

नोट:-

- इस सम्बन्ध में यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्तर से TCS की धनराशि को सामग्री क्रय की लागत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।
- लेखाशीर्ष 27.427 - TCS Debit Adjustment - Purchase Account के अवशेष का फर्मवार सम्पूर्ण विवरण लेखांकन इकाईयों द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा।

2. सामग्री क्रय करने पर (यदि बीजक मूल्य में TCS सम्मिलित नहीं है) :

— व. भ. श.

a. सामग्री क्रय करने पर :-

22.20 & 22.21	Material Purchase (Capital)	Dr.	(Cost)
	Or		
22.22 & 22.23	Material Purchase (O&M)	Dr.	(Cost)
42.101	Liab. for Supply of Material (Capital)	Cr.	(Cost)
	Or		
43.1	Liab. for Supply of Material (O&M)	Cr.	(Cost)

b. TCS देय होने पर TCS के सापेक्ष Debit Note प्राप्त होने पर :-

27.427	TCS Debit Adjustment - Purchase Account	Dr.	(TCS)
27.428	TCS Credit Adjustment - Purchase Account	Cr.	(TCS)

3. यदि TCS बीजक में सम्मिलित है तथा भुगतान के समय TCS देय न होने पर Debit Note निर्गत करने पर अथवा Credit Note प्राप्त होने पर :

27.428	TCS Credit Adjustment - Purchase Account	Dr.	(TCS)
27.427	TCS Debit Adjustment - Purchase Account	Cr.	(TCS)

4. बीजक का भुगतान करने पर :

a. यदि TCS विक्रेता को देय है :-

i. 42.101	Liab. for Supply of Material (Capital)	Dr.	(Cost)
	Or		
43.1	Liab. for Supply of Material (O&M)	Dr.	(Cost)
27.426	Tax Collected at Source (TCS)	Dr.	(TCS)
27.428	TCS Credit Adjustment - Purchase Account	Dr.	(TCS)
45.3	Liab. for Stores & Service Bills	Cr.	(Cost+TCS)
27.427	TCS Debit Adjustment - Purchase Account	Cr.	(TCS)
ii. 45.3	Liab. for Stores & Service Bills	Dr.	(Cost+TCS)
24.xxx	Bank Account	Cr.	(Cost+TCS)

b. यदि TCS विक्रेता को देय नहीं है :-

i. 42.101	Liab. for Supply of Material (Capital)	Dr.	(Cost)
	Or		
43.1	Liab. for Supply of Material (O&M)	Dr.	(Cost)
45.3	Liab. for Stores & Service Bills	Cr.	(Cost)
ii. 45.3	Liab. for Stores & Service Bills	Dr.	(Cost)
24.xxx	Bank Account	Cr.	(Cost)

नोट:-

- i. लेखाशीर्ष 27.426 Tax Collected at Source (TCS) का समायोजन/निस्तारण लेखाशीर्ष 27.421 एवं 27.425 के अवशेषों के समाधान/निस्तारण हेतु पत्र संख्या 864/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/मु०/लेखा/F-202(T)/43(4) दिनांक 18.08.2020 के द्वारा निर्गमित

— अमिता —

दिशा निर्देशों को उपरोक्त सीमा तक संशोधित मानते हुये, विभिन्न लेखांकन इकाईयों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- ii. लेखाशीर्ष 27.427 एवं 27.428 के अवशेष लेखा बुकिंग सदैव समान रहेगी अर्थात् दोनों लेखाशीर्षों के अवशेषों को आपस में Net off करने पर अवशेष शून्य (Nil) होगा।

B. क्रेता से TCS की वसूली करने की स्थिति में

1. सामग्री इत्यादि की बिक्री करने पर :

28.xxx	Debtors	Dr.	(Sale Value)
46.937	TCS Debit Adjustment - Sales Account	Dr.	(TCS)
22.xxx	Store	Cr.	(Sale Value)
46.938	TCS Credit Adjustment - Sales Account	Cr.	(TCS)

नोट:-

- i. इस सम्बन्ध में यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्तर से TCS की धनराशि को सामग्री के विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।
- ii. लेखाशीर्ष 46.938— TCS Credit Adjustment - Sales Account के अवशेष का फर्मवार सम्पूर्ण विवरण लेखांकन इकाईयों द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा।
- iii. लेखाशीर्ष 46.937 एवं 46.938 के अवशेष लेखा बुकिंग सदैव समान रहेगी अर्थात् दोनों लेखाशीर्षों के अवशेषों को आपस में Net off करने पर अवशेष शून्य (Nil) होगा।

2. जब TCS की धनराशि प्राप्य हो :

a. भुगतान प्राप्त होने पर :-

24.xxx	Bank Account	Dr.	(Sale Value+TCS)
28.xxx	Debtors	Cr.	(Sale Value)
46.937	TCS Debit Adjustment - Sales Account	Cr.	(TCS)

b. प्राप्त धनराशि के सापेक्ष TCS के दायित्व का लेखांकन करने पर :-

46.938	TCS Credit Adjustment - Sales Account	Dr.	(TCS)
46.932	TCS Collection at Source - TCS Income Tax	Cr.	(TCS)

c. देय तिथि पर TCS के दायित्व का भुगतान करने पर :-

i. 46.932	TCS Collection at Source - TCS Income Tax	Dr.	(TCS)
45.3	Liab. for Stores & Service Bills	Cr.	(TCS)
ii. 45.3	Liab. for Stores & Service Bills	Dr.	(TCS)
24.xxx	Bank Account	Cr.	(TCS)

3. जब TCS की धनराशि प्राप्य न हो :

a. TCS की धनराशि से Credit Note निर्गत करने पर :-

46.938	TCS Credit Adjustment - Sales Account	Dr.	(TCS)
46.937	TCS Debit Adjustment - Sales Account	Cr.	(TCS)

b. भुगतान प्राप्त होने पर :-

24.xxx Bank Account
28.xxx Debtors

Dr. (Sale Value)
Cr. (Sale Value)

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्रेता एवं विक्रेताओं से मासिक समाधान व निराकरण किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही, अनुबन्ध अनुसार अन्य प्रावधान तथा TCS से सम्बन्धित तत्कालीन विधिक प्रावधानों एवं संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन लेखांकन इकाईयों द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

निदेशक (वित्त)

पत्रांक - 1293 / उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 / मु0 / लेखा / F-154 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त) / (का0प्र0 एवं प्रशासन) / (कार्य एवं परियोजना) / (आपरेशन) / (वाणिज्य), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 के निजी सचिव शक्ति भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम) / (पारेषण मध्य) / (पारेषण दक्षिण पश्चिम) / (पारेषण दक्षिण मध्य) / (पारेषण उत्तर पूर्व) / (पारेषण दक्षिण पूर्व), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, मेरठ / लखनऊ / आगरा / झांसी / गोरखपुर / प्रयागराज।
3. मुख्य अभियन्ता, (जानपद), पारेषण प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (निधि प्रबन्ध), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक / परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (पारेषण पश्चिम) / (पारेषण मध्य) / (पारेषण दक्षिण पश्चिम) / (पारेषण दक्षिण मध्य) / (पारेषण उत्तर पूर्व) / (पारेषण दक्षिण पूर्व), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, मेरठ / लखनऊ / आगरा / झांसी / गोरखपुर / प्रयागराज।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा), पारेषण मुख्यालय एवं भुगतान इकाई, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, प्रथम तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (कारपोरेट टैक्स), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।



(प्रभात गुप्ता)
लेखाधिकारी (कारपोरेट लेखा)